विड्रो किए जाने से खारिज. 24/11/25

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री मंगलाराम चौधरी — श्री शंकरलाल जाट - 6 — श्री हसनखान 1,2, 3,4 — R-5 अबतक	
24.11.2025	सुरेश बनाम रमेश (2025/73) यह पत्रावली अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अपील की शीघ्र सुनवाई की जाकर अपील को आगे नहीं चलाये जाने से विड्रो फरमाने वास्ते पेश किये जाने से आज तलब की गई। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र बाबत निवेदन किया कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मूलवाद का निरतारण राजीनामानुसार वाद खारिज हो चुका है तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विरूद्ध प्रथम अपील माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तथा उक्त अपील को अपीलांट आगे चलाना नहीं चाहता है एव ना ही उक्त अपील में आगे कार्यवाही चाहते है तथा अपील को इसी स्तर पर विड्रो करवाना चाहते है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अपील की शीघ्र सुनवाई की जाकर अपील को आगे नहीं चलाये जाने से विड्रो फरमाने वास्ते पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मूल वाद विड्रो किया जा चुका है तथा न्यायालय हाजा के समक्ष विचाराधीन अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विरूद्ध अन्तगर्त धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई है। जो कि मूल वाद का निस्तारण हो जाने के कारण सारहीन हो चुकी है। अतः अपील अपीलांट मूल वाद का निस्तारण हो जाने के कारण सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	

Scanned with CamScanner

न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी. महोदय अजमेर

अपील टी.ए. संख्या...73.../2025 जिला अजमेर

----|2025|73|

श्री मंगलाराम चौधरी Adv ने अपील पेश की बाद जांच रिपोर्ट ठीक। पत्रावली दर्ज हो

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर 24.1.25

सुरेश पुत्र स्व. श्री जगदीश जाति जाट निवासी ग्राम बोगला तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

— अपीलांट

बनाम्

AD 1. रमेश पुत्र स्व. श्री जगदीश

AD 2. भूरीदेवी पत्नि स्व. श्री जगदीश

दोनो जाति जाट निवासीगण ग्राम बोगला तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

— रेस्पोडेन्ट्स

73/2025
24.01.25

3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, केकडी जिला अजमेर।

4. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय, केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

5. निर्मला पत्नि स्प. श्री चावण्डराज जाट

6. सीमा पुत्री स्व. श्री चावण्डराज जाट

निवासी ग्राम पंवालिया तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक।

— प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी महोदय, केकड़ी दिनांक 14.1.2025 जो प्रकरण संख्या 87/2024 (2024/438) बउनवानी सुरेश बनाम् रमेश में पारित किया गया।

———

मान्यवर,

Scanned with CamScanner